

18. निविदा को मान्य/अमान्य स्थगित करने या वाहनों की संख्या कम/ज्यादा करने का पूर्ण अधिकार संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, खण्डवा के पास सुरक्षित रहेगा।
19. निविदा स्वीकार होने पर संबंधित एजेन्सी को वाहन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना होंगे तथा निर्धारित प्रारूप में जानकारी (वाहन तथा वाहन चालक की) संबंधित अधोहस्ताक्षरार्थ, को देना होगी।
20. किसी भी प्रकार के विवाद/स्पष्टीकरण पर उपायुक्त वाणिज्यिक कर खण्डवा संभाग खण्डवा का निर्णय अंतिम होगा।

यह निविदा विभागीय वेब साईट [www.mptax.mp.gov.in](http://www.mptax.mp.gov.in) पर भी उपलब्ध रहेगी। निविदाएँ संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर जेल रोड़ चम्पा तालाब, कन्या छात्रावास के पीछे खण्डवा (म0प्र0) के पते पर डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा पर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/एजेन्सी का पूरा पता एवं टेलिफोन क्रमांक/ई-मेल आईडी अंकित होना चाहिये।

कार्यालय का पता:-

संभागीय उपायुक्त

वाणिज्यिक कर खण्डवा संभाग खण्डवा

जेल रोड़ चम्पा तालाब, कन्या छात्रावास के पीछे खण्डवा (म0प्र0)

टेलीफोन नं0 0733-2223246

मो0नं0 8989981035

(डी0सी0करोड़िया)  
संभागीय उपायुक्त,  
वाणिज्यिक कर खण्डवा.